प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव, 30प्र0 शासन।

सेवा में.

निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1

लखनऊ::दिनांक 13 अप्रैल, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में परिवीक्षा सेवा क्षेत्र (अधिष्ठान व्यय) हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-663/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2023-24, दिनांक 27.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-08-परिवीक्षा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 4924.70 लाख (रूपये उनचास करोड़ चौबीस लाख तीन हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 2461.70 लाख (रूपये चौबीस करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

- (1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
- (2) निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/मानकों/दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वितीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत वितीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वितीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0 उत्तरदायी होंगे।
- (5) निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सिम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, मिहला कल्याण, 30प्र0 का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमत: कार्यवाही कर अवगत करायें।
- (6) वितीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0 का होगा।
- (7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0 स्तर से बजट मैनुअल, वितीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।
- (9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।
- (10) धनराशि का निदेशक, मिहला कल्याण, 30प्र0/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वितीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (11) निदेशक, मिहला कल्याण, 30प्र0 द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0 स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ता है।

- (12) निदेशक, मिहला कल्याण, 30प्र0 स्तर से विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0 स्तर से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (14) उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020800 (परिवीक्षा सेवा क्षेत्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	01 वेतन	13,39,62,000 (रुपये तेरह करोड़ उनतालीस लाख बासठ हजार मात्र)
2	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	03 मंहगाई भत्ता	7,36,79,000 (रुपये सात करोड़ छत्तीस लाख उनासी हजार मात्र)
3	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	04 यात्रा व्यय	4,38,000 (रुपये चार लाख अड़तीस हजार मात्र)
4	049	2235021020800	05	1,50,000

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	(रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	06 अन्य भते	5,15,000 (रुपये पाँच लाख पन्द्रह हजार मात्र)
6	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	07 मानदेय	26,000 (रुपये छब्बीस हजार मात्र)
7	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	08 कार्यालय व्यय	26,26,000 (रुपये छब्बीस लाख छब्बीस हजार मात्र)
8	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	09 विद्युत देय	90,64,000 (रुपये नब्बे लाख चौंसठ हजार मात्र)
9	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	10 जलकर / जल प्रभार	2,83,000 (रुपये दो लाख तिरासी हजार मात्र)
10	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	11 लेखन सामग्री और फार्मी की छपाई	23,95,000 (रुपये तेईस लाख पंचानबे हजार मात्र)
11	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7,98,000 (रुपये सात लाख अट्ठानबे हजार मात्र)
12	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	13 टेलीफोन पर व्यय	2,83,000 (रुपये दो लाख तिरासी हजार मात्र)
13	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,60,000 (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र)
14	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	17 किराया, उपशुल्क और कर- स्वामिस्व	10,30,000 (रुपये दस लाख तीस हजार मात्र)
15	049	2235021020800	42	26,000

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	अन्य व्यय	(रुपये छब्बीस हजार मात्र)	
16	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	31,000 (रुपये इकतीस हजार मात्र)	
17	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	45 अवकाश यात्रा व्यय	51,000 (रुपये इक्यावन हजार मात्र)	
18	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,51,000 (रुपये दो लाख इक्यावन हजार मात्र)	
19	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20,60,000 (रुपये बीस लाख साठ हजार मात्र)	
20	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	49 चिकित्सा व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)	
21	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	51 वर्दी व्यय	1,29,000 (रुपये एक लाख उनतीस हजार मात्र)	
22	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	55 मकान किराया भता	1,24,63,000 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तिरेसठ हजार मात्र)	
23	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	58 आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान	5,50,000 (रुपये पाँच लाख पचास हजार मात्र)	
	कुल			24,61,70,000 (रुपये चौबीस करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार मात्र)	
मह	24,61,70,000 महायोग (रुपये चौबीस करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार मात्र)				

के नामे डाला जायेगा।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी) संयुक्त सचिव

<u>संख्या-7/2024/695(1)/60-1-2024, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अन्भाग-4
- 6- गार्ड फाइल।

आजा से.

(अशोक कुमार तिवारी) संयुक्त सचिव

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।